

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 02.12.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर के मार्गदर्श में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष खोराबार के नेतृत्व में उ0नि0 रवि शंकर तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2025 धारा 319(2), 18(4), 38, 36(3), 40(2), 51(3) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 1. रामजी पुत्र स्व0 जोरई उर्फ पलटू निवासी झारखण्डी टुकड़ा नं0-1 महेवा बारी मल्लह टोलिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर, 2. बदरी पुत्र स्व0 रामेश्वर निषाद निवासी शिवपुर कालोनी मिर्जापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन का जमीन बैनामा करा लिया गया। जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रामजी पुत्र स्व0 जोरई उर्फ पलटू निवासी झारखण्डी टुकड़ा नं. 1 महेवा बारी मल्लह टोलिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. बदरी पुत्र स्व0 रामेश्वर निषाद निवासी शिवपुर कालोनी मिर्जापुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 369/2025 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रविशंकर तिवारी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. म.उनि. अनूप्रिया राय थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 ऋतू बसन्त सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. का. पिन्टू चौहान थाना खोराबार जनपद गोरखपुर